लखनऊ नगर निगम

मा0 कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक दिनांक 27.06.2018 को पूर्वाहन 11:00 बजे बाबू राज कुमार श्रीवास्तव कक्ष में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही :—

उपस्थिति :—

1	श्रीमती संयुक्ता भाटिया	मा0 अध्यक्ष/महापौर
2	श्री अरुण कुमार तिवारी	मा0 उपाध्यक्ष
3	श्री अजय दीक्षित	मा0 सदस्य
4	श्री गिरीश कुमार मिश्रा	मा0 सदस्य
5	श्री मो0 शकीर	मा0 सदस्य
6	श्री राज कुमार सिंह	मा0 सदस्य
7	श्री राजेश कुमार मालवीय	मा0 सदस्य
8	श्री राजेश सिंह	मा0 सदस्य
9	श्रीमती सुनीता सिंघल	मा0 सदस्य
10	श्री विमल तिवारी	मा0 सदस्य

अन्य उपस्थिति :—

1. नगर आयुक्त
2. अपर नगर आयुक्त(ए0)
3. अपर नगर आयुक्त(पी0के0)
4. मुख्य अभियन्ता
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6. मुख्य नगर लेखा परीक्षक
7. समस्त जोनल अधिकारी
8. तहसीलदार
9. समस्त नगर अभियन्ता
10. उद्यान अधीक्षक(श्री चौरसिया/श्री गौतम)
11. पशुचिकित्साधिकारी
12. मुख्य अभियन्ता (वि0/यॉं0)
13. महाप्रबन्धक, जलकल
14. सचिव, जलकल
15. लेखाधिकारी, जलकल
16. कार्यालय अधीक्षक(अधि0)

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

मा0 अध्यक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया और बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।

नगर आयुक्त ने कहा कि आज की बैठक में मा0 महापौर जी, कार्यकारिणी समिति के सभी मा0 सदस्यों एवं अधिकारियों का स्वागत और अभिनन्दन है।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि मा0 अध्यक्ष जी बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है। बैठक में लिये गये निर्णयों पर इम्प्लीमेन्ट करने के लिए नगर आयुक्त जी हमारे बीच में है। हम मा0 कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यगण नगर आयुक्त जी का स्वागत और अभिनन्दन करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो भी मा0 कार्यकारिणी समिति में निर्णय होंगे, कार्यवृत्त में आने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्व में जो निर्णय सर्वसम्मति से किये गये थे, वह कार्यवृत्त में नहीं आए हैं। सदन में बात उठी तो कहा गया कि लिपिकीय त्रुटि है। जो भी सर्वसम्मति से निर्णय लिए जायेंगे, वही कार्यवृत्त में होंगे, इसके लिए क्या टेपरिकार्डर रखा गया है, या लिपिक बैठाए गये हैं।

नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 कार्यकारिणी समिति की गरिमा है। बैठक में लिये गये निर्णयों पर इम्प्लीमेन्ट करने का दायित्व नगर आयुक्त और उनकी टीम का है। निश्चित रूप से अनुपालन होगा। कार्यवृत्त नोट करने के लिए दो लिपिक बैठाए गये हैं। नगर आयुक्त के पदीय दायित्व को दृष्टिगत रखते हुए हम आश्वस्त करते हैं कि जो निर्णय होंगे, शत–प्रतिशत वही कार्यवृत्त में रहेंगे।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार संचालन होना चाहिए। अधिनियम की धारा–88, 89 की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। धारा–89 में व्यवस्था है कि ''कार्य का सम्पादन करने के लिये कार्यकारिणी समिति अथवा धारा–5 के अधीन निर्मित अन्य किसी समिति का अधिवेशन प्रति मास कम से कम एक बार अवश्य होगा।'' दिनांक 12.02.2018 को मा0 कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई थी। चार माह बाद आज बैठक बुलाई गयी है। लखनऊ की जनता के लिए यह उचित नहीं है। समय पर बैठक नहीं हुई, इसका जिम्मेदार कौन है ?

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

मा0 अध्यक्ष ने घोषणा की कि मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को (शनिवार को अवकाश होने की स्थिति में सोमवार को) सम्पादित की जाएगी।

नगर आयुक्त ने कहा कि दिनांक 12.02.2018 की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाए।

मद संख्या (1) :– पूर्व सम्पन्न मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12.02.2018 क कार्यवाही की पुष्टि।

(परिशिष्ट–

Scanned by CamScanner

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि पुष्टि करने से पहले देख लिया जाए कि पूर्व में लिये गये निर्णयों पर कितना इम्प्लीमेन्ट हुआ। मैंने बैलेन्स शीट मांगी थी, जो आज तक नहीं दी गयी। हर माह की आडिट रिपोर्ट उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि हमने समस्त रिकार्ड आडिट में दे दिया है।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि नगर निगम पर कितनी लाइबिलिटी है यह प्रूफ किया जाए। नगर निगम को सुचारु रूप से चलाना है तो आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–142 में लिखा है कि हर महीने की आडिट रिपोर्ट दी जाए।

मा0 उपाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व बैठक में कहा गया था कि बैलेन्स शीट आनी चाहिए। एक मेरे पास बैलेन्स शीट है उसमें सात आपत्तियां दी गयी हैं। प्रापर आपत्तियों का निस्तारण होना चाहिए। तीन–तीन चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट क्यों रखे गये हैं।

नगर आयुक्त ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देशित किया कि अगर सी0ए0 काम नहीं करते हैं तो उनको हटाएं। बैठक में जो बात कही जाए, वह पूरी होनी चाहिए। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी सारे असेट्स और लाइबिलिटी को जोड़ते हुए वर्ष 2015–16 की आडिट रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने आश्वासन दिया कि वर्ष 2015–16 की आडिट रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव ने पूर्व बैठक में कहा था कि ''प्रोविजनल बैलेंस शीट एक मई, 2018 तक हम देने की स्थिति में होंगे।'' लेकिन आज तक बैलेस शीट उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

मा0 उपाध्यक्ष ने कहा कि एक अप्रैल, 2015 से आडिट रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। आप माइनस में दिखा रहे हैं, लेकिन आप माइनस में हैं नहीं। आडिट रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने से पहले मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराएं, जिससे कि मा0 सदस्य पढ़ सकें और बैठक में चर्चा कर सकें।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

नगर आयुक्त ने कहा कि वर्ष 2015–16 की आडिट रिपोर्ट बैठक से पूर्व सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

मा0 अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी कि वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 की आडिट रिपोर्ट (संलग्नक सहित) मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराते हुए अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि मैं आपका ध्यान पूर्व बैठक दिनांक 12.02.2018 की कार्यवाही के पेज नं0–13 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें लिखा है कि ''मा0 अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि पूर्व में जो प्राविधान रु0 85.00 लाख का प्रति वार्ड विकास

Scanned by CamScanner

हेतु किया गया था, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उसमें प्रति वार्ड विकास हेतु अतिरिक्त रु0 10.00 लाख का प्राविधान और बढ़ाते हुए अपेक्षा की जाती है कि हर वार्ड में एक आदर्श मोहल्ला बनाया जाए। प्रतिवार्ड में कुल रु0 95.00 लाख निम्नानुसार वर्गीकृत करते हुए व्यय किया जाए:–

1– सड़क/नाली निर्माण व मरम्मत पर व्यय	–	रु0 70.00 लाख
2– मार्ग प्रकाश पर व्यय	–	रु0 5.00 लाख
3– पार्कों के सौंदर्यीकरण व विकास पर व्यय	–	रु0 5.00 लाख
4– पेयजल पर व्यय (रु0 2.00 लाख सबमर्सिबल पम्प की मरम्मत पर व्यय)	–	रु0 5.00 लाख
5– आदर्श मोहल्ला बनाने पर व्यय	–	रु0 10.00 लाख

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि उक्त पूरे विवरण की क्या हम पुष्टि करते हैं, पुष्टि हो जाए तो अच्छी बात है। मा0 सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया, वह चेन्ज करके प्रस्तुत किया गया था।

मा0 उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2017–18 की वार्ड विकास प्राथमिकता राशि रु0 15.00 लाख से कुछ वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पाए थे, इसके लिए व्यवस्था कर ली जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि बजट की कापी में 5–5(3) मद देखें, इसमें अभियन्त्रण कार्यों के लिए रु0 50.00 करोड़ की स्पष्ट व्यवस्था की गयी है। जब पहले से व्यवस्था है, तो इसके लिए (वर्ष 2017–18 की अवशेष चौथी किश्त रु0 15.00 लाख प्रति वार्ड) अलग से व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है। रु0 50.00 करोड़ की पहले से व्यवस्था है तो रु0 15.00 लाख प्रति वार्ड हेतु इस वर्ष के बजट में क्यों जोड़ रहे हैं। वर्ष 2017–18 का रु0 15.00 लाख प्रति वार्ड विकास हेतु हम लोग पास करते हैं, बजट मद संख्या–5–5(3) में अभियन्त्रण कार्यो हेतु पूर्व से प्राविधानित रु0 50.00 करोड़ से भुगतान किया जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि अगर हम पूर्व बैठक की कार्यवाही की पुष्टि कर लेते हैं तो सदन में जो बजट में रु0 60.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है, उसको कैसे स्पष्ट किया जाएगा। रु0 15.00 लाख प्रतिवार्ड विकास हेतु 110 वार्डों के लिए कुल रु0 16.50 करोड़ होता है। यह बजट मद 5–5(3) से भुगतान किया जाए। अन्य लाइबिलिटी को अन्य मदों से भुगतान किया जाए।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि वर्ष 2017–18 की रु0 76.00 करोड़ की लाइबिलिटी है।

श्री गिरीश मिश्रा ने पुनः कहा कि जो वर्ष 2017–18 के प्रति वार्ड विकास हेतु रु0 15.00 लाख के काम हो गये हैं, पत्रावलियां पास हैं, उन्हें पुनरीक्षित बजट में न ले करके बजट मद संख्या–5–5(3) में रु0 50.00 करोड़ प्राविधानित धनराशि से भुगतान

Scanned by CamScanner

मुख्य अभियन्ता ने लाइबिलिटी के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अवगत कराया कि रु0 220.00 करोड़ की लाइबिलिटी है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि रु0 220.00 करोड़ इस वित्तीय वर्ष के बजट में प्राविधनित किया जाना चाहिए था।

नगर आयुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट मद सं0–5–5(3) में प्राविधानित रु0 50.00 करोड़ से, जो वार्ड विकास प्राथमिकता धनराशि रु0 15.00 लाख की पत्रावलियां 31 मार्च, 2018 से पूर्व स्वीकृत हैं, वहीं ली जा सकती हैं।

श्री अजय दीक्षित ने कहा कि जान–बूझकर टेण्डर अप्रैल, 2018 में कराये गये। जान–बूझकर लिंगरआन किया गया।

नगर आयुक्त ने पुनः कहा कि वर्ष 2017–18 की वार्ड विकास प्राथमिकता कार्य की जो पत्रावलियां 31 मार्च, 2018 के पूर्व स्वीकृत हैं वह रु0 50.00 करोड़ में ले ली जाएं, जो पत्रावलियां 31 मार्च, 2018 के बाद स्वीकृत हुई हैं, वह पुनरीक्षित बजट में ले ली जाएंगी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2017–18 के कार्यों का भुगतान मार्च, 2018 के अन्दर होना चाहिए था। कार्य हो गये और भुगतान नहीं हुआ तो उसका भुगतान कैसे होगा ?

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि पुराना बजट लेप्स हो जाता है। पुनरीक्षित बजट में प्राविधान किया जा सकता है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि प्रति वार्ड विकास प्राथमिकता राशि रु0 15.00 लाख के विकास कार्य जो हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, इसमें कमी जनता की नहीं है, जो काम नहीं हो पाए हैं, वह वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में होंगे।

मा0 अध्यक्ष ने कहा कि कुछ पार्षदगण कतिपय मांगों को लेकर इस कक्ष के बाहर धरने पर बैठे हैं, उनसे वार्ता करने हेतु बैठक 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

मा0 अध्यक्ष ने पुनः अपना आसन ग्रहण किया और बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि वर्ष 2017–18 में जो पत्रावलियां स्वीकृत हो गयी हैं, वह फाइनेन्शियल लाइबिलिटी में चली गयी हैं। ऐसी पत्रावलियां बजट मद सं0–5–5–(3) से मीट आउट हो जाएंगी। लेकिन जो प्रति वार्ड विकास प्राथमिकता राशि रु0 15.00 लाख के विकास कार्य वर्ष 2018–19 में स्वीकृत हुए हैं, उनको इस वित्तीय वर्ष में रखकर भुगतान किया जाएगा।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2017–18 में कुछ वार्डों में काम हुए हैं, कुछ वार्डों में नहीं हुए हैं। विभागीय कमी के कारण फाइलें स्वीकृत नहीं हो पायीं, वह भी तो वर्ष 2017–18 के काम हैं।

Scanned by CamScanner

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि फिजिकल लाइबिलिटी रु0 95.00 लाख है।

अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि जो कार्य 31 मार्च तक स्वीकृत हैं, वह लाइबिलिटी में आ गये।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि 31 मार्च तक स्वीकृत पत्रावलियों को वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट मद 5–5–(3) से भुगतान किया जाए और जो पत्रावलियां स्वीकृत नहीं है, उनको वित्तीय वर्ष 2018–19 के पुनरीक्षित बजट में प्राविधान करके भुगतान किया जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि नाला सफाई के टेण्डर कितने करोड़ के हुए हैं ?

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि रु0 7.35 लाख के नाला सफाई के लिए टेण्डर हुए हैं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि ढाई करोड़ के टेण्डर बजट प्राविधान से अधिक के हो गये हैं। उसी तरह से विकास कार्य हो गये हैं। रु0 15.00 लाख प्रति वार्ड के विकास के विकास कार्यों की पत्रावलियां बनाकर पास की जाएं और लेखा विभाग पुनरीक्षित बजट में सम्मिलित करके भुगतान करे।

श्री गिरीश मिश्रा ने पुनः कहा कि जिस तरह से नालों की सफाई के लिए बिना बजट में प्राविधान किए ढाई करोड़ रुपये के टेण्डर हुए, उसी तरह से वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्ड विकास प्राथमिकता धनराशि रु0 15.00 लाख प्रति वार्ड के लिए पुनरीक्षित बजट में प्राविधान करके भुगतान किया जाए।

उपरोक्त प्रक्रिया अनुपालित करने हेतु नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया ।

संकल्प संख्या (21) :– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में कमिटमेन्ट किए हुए वार्ड विकास प्राथमिकता धनराशि रु0 15.00 लाख प्रति वार्ड के विकास कार्य जो 31 मार्च, 2018 तक स्वीकृत हो चुके हैं, बजट मद 5–5–(3) से भुगतान किया जाए। जो कार्य 31 मार्च, 2018 तक स्वीकृत नहीं हो पाए हैं, वित्तीय नियम देखते हुए पुनरीक्षित बजट में प्राविधान करके भुगतान किया जाए।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पत्रावलियां तीन दिन से अधिक किसी अधिकारी के पास नहीं रुकनी चाहिए। वार्ड विकास की पत्रावलियां लम्बित पड़ी हुई हैं। मेन होल के पत्थर तक नहीं लग रहे हैं। यदि कहीं नाली टूटी है, सड़क पर पानी भर रहा है, तो नाली तत्काल बनाना आवश्यक है। पार्षद आवश्यक काम लेकर आए तो काम यथाशीघ्र होना चाहिए।

श्री राज कुमार सिंह ने कहा कि मा0 अध्यक्ष जी काम होने हैं, निर्णय आप नहीं लेंगी तो काम कैसे होगें ? क्या हम लोगों को मंगल दिवस में आना पड़ेगा ?

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि मेरे पास जितनी पत्रवलियां थी, कल शाम तक सब स्वीकृत हो गयी हैं। काम नहीं रुकेगें, लेकिन पत्रावली पूरी होनी चाहिए। मैं

Scanned by CamScanner

लगा हुआ हूँ कि विकास कार्यों की सभी फाइलें आ जाएं। सफाई व्यवस्था आदि के भी काम होने हैं, बहुत दौड़ना पड़ रहा है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि सदन में बजट में विकास कार्यों हेतु रु0 60.00 करोड़ का प्राविधान दिखाया गया है। कोई टेक्निकल समस्या न आए, देख लिया जाए।

मा0 अध्यक्ष ने कहा कि सदन में भी रु0 95.00 लाख प्रति वार्ड विकास हेतु पास है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि दिनांक 12.02.2018 की बैठक में जो निर्णय हुआ था उसमें संशोधन करते हुए वार्ड विकास कार्यों हेतु सदन में रु0 60.00 करोड़ का ही बजट में प्राविधान दिखाया गया है। रु0 95.00 लाख प्रति वार्ड विकास को कुल प्राविधान रु0 60.00 करोड़ घटाते हुए शेष धनरशि का पुनरीक्षित बजट में प्राविधान कर लिया जाए।

मा0 सदस्यों ने कहा कि जी0एस0टी0 हटाकर प्राविधान किया जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि बजट मद 5–5–3(ख) के अन्तर्गत जो प्रति वार्ड विकास हेतु रु0 95.00 लाख पास किया गया था, उसमें संशोधन करके सदन में कुल रु0 60.00 करोड़ का ही प्राविधान दिखाया गया।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–151 के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि वार्ड विकास कार्यों हेतु रु0 60.00 करोड़ सदन के बजट में प्राविधान किया गया था। जबकि मा0 कार्यकारिणी समिति में रु0 95.00 लाख प्रति वार्ड विकास हेतु पास किया गया था। इसलिए रु0 95.00 लाख X 110 = रु0 104.50 करोड़ - रु0 60.00 करोड़ = 44.50 करोड़ का प्राविधान पुनरीक्षित बजट में और कर लिया जाए। अभी वार्डवार रु0 27.00 लाख की दो किश्ते रु0 54.00 लाख में बनायी गयी थीं। अब रु0 44.50 करोड़ का और प्राविधान करके प्रति वार्डवार दो किश्ते रु0 21.00 लाख और रु0 20.00 लाख की बनाकर अवमुक्त की जाएं। जी0एस0टी0 का भुगतान वार्ड विकास प्राथमिकता धनराशि से न करके नगर निगम निधि से किया जाए।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

मा0 अध्यक्ष जी ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि तीसरी रु0 21.00 लाख की किस्त को रु0 11.00 लाख वार्ड विकास और रु0 10.00 लाख आदर्श मोहल्ला हेतु (मा0 सदस्य द्वारा घोषित करने पर ही देय) कर लिया जाय।

संकल्प संख्या (22) :– सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

मा0 उपाध्यक्ष जी ने प्रस्ताव रखा कि मा0 महापौर जी और नगर आयुक्त जी को उनके विवेकानुसार विकास कार्य कराने हेतु प्राविधान किया जाए।

Scanned by CamScanner

संकल्प संख्या (23) :– सर्वसम्मति से रु0 10.00 करोड़ मा0 महापौर जी को और रु0 10.00 करोड़ नगर आयुक्त को उनके विवेकानुसार विकास कार्य कराने हेतु प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

संकल्प संख्या (24) :– सर्वसम्मति से विस्तृत चर्चा के उपरान्त पूर्व सम्पन्न मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12.02.2018 की कार्यवाही में संकल्प संख्या–21, 22 एवं 23 के अनुसार संशोधन करते हुए पुष्टि की गयी।

मद संख्या (2) :– श्रीमती रूचि श्रीवास्तव, लिपिक, विधि विभाग के 10 वर्षीय पुत्र आर्यन के कैंसर रोग का उपचार एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ से कराये जाने हेतु दिये गये चिकित्सा अग्रिम धनांक ₹4,50,000–00 मात्र के समायोजन एवं चिकित्सा में व्यय की गयी अतिरिक्त धनराशि ₹1,64,959–00 की प्रतिपूर्ति पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की आख्या दिनांक 12.01.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 16.01.2018 के क्रम में मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 16.01.2018 पर विचार।

(परिशिष्ट–2)

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि पूरा एजेण्ड देख लिया जाए, केवल कर्मचारियों के इलाज और वेतन वृद्धि के ही प्रस्ताव हैं। विकास कार्यों के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि वार्ड विकास कार्यो के सम्बन्ध में ही अभी तक चर्चा हो रही थी। कर्मचारी भी अपने परिवार के हैं, इनके प्रस्तावों पर भी विचार करना आवश्यक है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि चिकित्सा से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्तावों पर नियमानुसार भुगतान करने हेतु नगर आयुक्त जी को अधिकृत किया जाता है।

सभी मा0 सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।

संकल्प संख्या (25) :– सर्वसम्मति से मद संख्या–2 पर अंकित प्रस्ताव पर नियमानुसार भुगतान करने हेतु नगर आयुक्त जी को अधिकृत किया गया।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

मद संख्या (3) :– श्री रमाकान्त, लिपिक, विधि विभाग, जोन–1 लखनऊ को भवन निर्माण हेतु विभागीय आख्यानुसार देय भवन अग्रिम ऋण ₹2,37,660–00 पर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु लेखा विभाग की आख्या दिनांक 26.12.2017 पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 27.12.2017 पर विचार।

(परिशिष्ट–3)

संकल्प संख्या (26) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (4) :– नगर निगम लखनऊ में संविदा पर कार्यरत समूह "ग"(लिपिक संवर्ग)व समूह "घ" (चतुर्थ श्रेणी संवर्ग) के पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी (अधि0) की आख्या दिनांक 12.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 12.02.2018 पर विचार।

(परिशिष्ट–4)

Scanned by CamScanner

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन भुगतान न करके संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम फिक्स वेतन का ही भुगतान होता है। इनको कोई एरियर आदि भी नहीं मिलता है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पूर्व बैठक में निर्णय हुआ था कि कार्यदायी संस्था के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी हटाए जाएं। पूर्व में एक समिति भी गठित की गयी थी, जिसमें तत्कालीन अपर नगर आयुक्त श्री विशाल भारद्वाज अध्यक्ष थे। समिति ने यही निर्णय लिया था कि संविदा पर जो कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत है, शासनादेशनुसार उस पद का न्यूनतम वेतन + डी०ए० दिया जा सकता है। उसी निर्णय के अनुसार दिया जाना चाहिए। अब सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम फिक्स वेतन + डी०ए० दिया जा सकता है।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि यह प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाए।

संकल्प संख्या (27) :– सर्वसम्मति से श्रीमती सुनीता सिंघल के प्रस्ताव को सहमति प्रदान करते हुए प्रस्ताव अगली बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (5) :– श्री रामेश्वर प्रसाद राय, सेवानिवृत्त लिपिक, जोन–3, नगर निगम लखनऊ का विवेकानन्द अस्पताल, लखनऊ से उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के पश्चात् उपचार में व्यय की गयी धनराशि ₹4,39,788–00 की चिकित्सा प्रतिपूर्ति उनकी पत्नी श्रीमती सुनैना देवी को किये जाने हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी की आख्या दिनांक 01.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 24.02.2018 पर विचार।

(परिशिष्ट–5)

संकल्प संख्या (28) :– सर्वसम्मति से नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया।

मद संख्या (6) :– मार्ग प्रकाश विभाग में कार्यदायी संस्था के माध्यम से आबद्ध तीन अवर अभियन्ताओं को देय मानदेय(पारिश्रमिक) में ₹9,000–00 प्रतिमाह के स्थान पर मार्ग प्रकाश विभाग में व्यक्तिगत संविदा के रूप में कार्यरत अवर अभियन्ता की भाँति ₹20,500–00 (कर अतिरिक्त) वृद्धि करते हुए प्रतिमाह दिये जाने पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रभारी मुख्य अभियन्ता(वि0/याँ) की आख्या दिनांक 23.03.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 24.03.2018 के क्रम में मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 28.03.2018 के तहत मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

(परिशिष्ट–6)

संकल्प संख्या (29) :– सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव और पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम डिग्री कालेज का प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि एक फार्म भरवाया जा रहा है कि कोई घटना होती है तो ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा। कार्यदायी संस्था के माध्यम से कार्यरत

Scanned by CamScanner

संविदा कर्मचारियों को चार–पांच हजार से अधिक नहीं दिया जा रहा है। जबकि कर्मचारियों को पूरा पारिश्रमिक रु0 7500/– मिलना चाहिए।

श्री राज कुमार सिंह ने कहा कि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। पूरा पैसा उनके खाते में जाना चाहिए।

नगर आयुक्त ने कहा कि संविदा कर्मचारियों का ई0एस0आई0 और पी0एफ0 अभी तक नहीं कट रहा है, अब ई0एस0आई0 और पी0एफ0 कटवाया जाएगा। जो फार्म भरवाने की बात आयी है, उसे रोका जाएगा।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि पार्षदों के अनुरोध पर लाइटें नहीं लग रही हैं। जो नई लाइटें लगायी जा रही हैं, वह बहुत खराब हो रही हैं।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि एक लाख 36 हजार लाइटें लगायी गयी हैं। उसका वेरीफिकेशन कराया गया है।

श्री अजय दीक्षित ने कहा कि जो लाइटें खराब हो गयी हैं, एक भी लाइट ठीक नहीं हो पा रही है। हम लोग एक बल्ब नहीं ठीक करा पा रहे हैं।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि पुरानी लाइटें जो उतारी जा रही हैं, उन्हें अंधेरे स्थानों पर लगवा दिया जाए। हमारे वार्ड में कई स्थानों पर अंधेरा है।

मा0 अध्यक्ष ने अवगत कराया कि कमेटी बनायी है। जहां अंधेरा है वहां पुरानी लाईटें लगवा दी जाएं।

मुख्य अभियन्ता(विद्युत) ने अवगत कराया कि खाली पोलों का सर्वे कराया जा रहा है।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि पूर्व में निगरानी समितियां गठित करने की बात कही गयी थी। हर जोन में एक निगरानी समिति बनायी जाए। निगरानी समिति में पार्षदों को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि इंस्पेक्टर राज खत्म हो सके। हम लोग फोन करते हैं तो ध्यान नहीं दिया जाता है।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि अब करारोपण डिजिटली होगा। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक मैनुवली व्यवस्था थी इसलिए कर्मचारी विलम्ब करते थे।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि सर्वे करा लिया जाए, नगर निगम की आय बढ़ायी जाए। निगरानी समिति की सप्ताह में एक बार बैठक हो जाए, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से नगर निगम की आय बढ़ेगी।

मद संख्या (7) :– केन्द्रीय कार्यशाला में कार्यशील 55 संख्या में विभागीय वाहनों का इन्श्योरेन्स कराये जाने निमित्त मे0 नेशनल कम्पनी लि0 के पक्ष में कुल धनाक ₹ 5,30,760–00 अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी मुख्य अभियन्ता(वि0/याँ) की आख्या

Scanned by CamScanner

दिनांक 05.05.2018 के क्रम में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 05.05.2018 को स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रकरण मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(परिशिष्ट–7)

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि वाहनों के इन्श्योरेन्स सम्बन्धी एजेण्डे में चार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। चारों प्रस्तावों के अनुसार 55+102+88+93=338 वाहनों के इन्श्योरेन्स होने हैं। इनमें कौन–कौन सी गाड़ियां हैं ? ट्रक हैं या अन्य वाहन हैं ? यह सब वाहन पुराने हैं या नए हैं ? माडल कौन–सा है ? यह सब पूरा विवरण आना चाहिए।

मुख्य अभियन्ता(वि0/याँ0) ने अवगत कराया कि चेक मांउटेड और रोबोट को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के इन्श्योरेन्स हर साल होता है। जिन वाहनों का इन्श्योरेन्स ड्यू है, उन्हीं वाहनों के इन्श्योरेन्स के प्रस्ताव रखे गये हैं। किसी वाहन का दो बार इन्श्योरेन्स टेक्निकली सम्भव नहीं है।

संकल्प संख्या (30) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (8) :– कूड़ा निस्तारण हेतु केन्द्रीय कार्यशाला में कार्यशील 102 संख्या में विभागीय वाहनों का इन्श्योरेन्स कराये जाने निमित्त मेसर्स नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 के पक्ष में कुल धनांक ₹9,55,902–00 अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी मुख्य अभियन्ता(वि0/याँ) की आख्या दिनांक 05.05.2018 के क्रम में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 05.05.2018 को स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रकरण मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **(परिशिष्ट–8)**

संकल्प संख्या (31) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (9) :– कूड़ा निस्तारण हेतु केन्द्रीय कार्यशाला में कार्यशील 88 संख्या में विभागीय वाहनों का इन्श्योरेन्स कराये जाने निमित्त मेसर्स नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 के पक्ष में कुल धनांक ₹7,94,058–00 अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी मुख्य अभियन्ता(वि0/याँ) की आख्या दिनांक 05.05.2018 के क्रम में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 07.05.2018 को स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रकरण मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **(परिशिष्ट–9)**

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

संकल्प संख्या (32) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (10) :– कूड़ा निस्तारण हेतु केन्द्रीय कार्यशाला में कार्यशील 93 संख्या में विभागीय वाहनों का इन्श्योरेन्स कराये जाने निमित्त मेसर्स नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 के पक्ष में कुल धनांक ₹7,94,964–00 अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी मुख्य अभियन्ता(वि0/याँ)की आख्या दिनांक 05.05.2018 के क्रम में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 05.05.2018 को स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रकरण मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **(परिशिष्ट–10)**

संकल्प संख्या (33) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

Scanned by CamScanner

मद संख्या (11) :— श्री सुनील कुमार शुक्ला, सहायक लेखाकार, लेखा विभाग का बत्रा हास्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली से उपचार के दौरान उनकी मृत्यु दिनांक 22.03.2013 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री अर्पित शुक्ला को पिता जी के उपचार में व्यय धनराशि धनांक ₹4,61,340—00 मात्र की प्रतिपूर्ति एवं श्री अर्पित शुक्ला के पक्ष में भुगतान किये जाने हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी की आख्या दिनांक 11.11.2017 पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 23.12.2017 पर विचार। (परिशिष्ट—11)

संकल्प संख्या (34) :— सर्वसम्मति से नियमानुसार भुगतान करने हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया।

मद संख्या (12) :— श्री विमल कुमार भाटिया, द्वि0श्रे0लिपिक, जोन—5 नगर निगम, लखनऊ द्वारा फोर्टिस एस्कार्ट हास्पिटल, नई दिल्ली से अपने हृदय रोग का उपचार कराये जाने के उपरान्त प्रस्तुत दावे पर उल्लिखित शासनादेश एवं नियमावली में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत धनांक ₹2,75,856—00 की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 23.12.2017 पर विचार। (परिशिष्ट—12)

संकल्प संख्या (35) :— सर्वसम्मति से नियमानुसार भुगतान करने हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया।

मद संख्या (13) :— श्रीमती रुचि श्रीवास्तव, लिपिक, विधि विभाग के 10 वर्षीय पुत्र आर्यन के कैंसर रोग का उपचार एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ से कराये जाने हेतु दिये गये चिकित्सा अग्रिम धनांक ₹3,00,000—00 मात्र के समायोजन एवं उपचार में व्यय की गयी अतिरिक्त धनराशि ₹62,289—00 मात्र की चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की आख्या दिनांक 05.03.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 07.03.2018 के क्रम में मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 20.03.2018 के तहत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (परिशिष्ट—13)

संकल्प संख्या (36) :— सर्वसम्मति से नियमानुसार भुगतान करने हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

मद संख्या (14) :— लखनऊ नगर निगम के वार्डो के नये परिसीमन के सीमाओं पर वार्ड का नाम, मा0 महापौर, पार्षद के नाम व मोबाईल नम्बर का बोर्ड लगाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शहनाज अबरार, मा0 पार्षद, राजा बाजार वार्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 02.05.2018 पर विचार। (परिशिष्ट—14)

संकल्प संख्या (37) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्रीमती सुनीला सिंघल ने कहा कि चारबाग रेलवे स्टेशन और शहर की सीमाओं पर मा0 महापौर जी के फोटो सहित बोर्ड लगवाए जाएं।

संकल्प संख्या (38) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

Scanned by CamScanner

मद संख्या (15) :– लेबर कालोनी वार्ड के अन्तर्गत गुरूद्वारे चौराहे का नामकरण **"गुरू गोविन्द सिंह साहब"** किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार मालवीय, मा0 पार्षद/कार्यकारिणी सदस्य द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 07.02.2018 पर विचार। (परिशिष्ट–15)

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि नामकरण के प्रस्तावों पर विभागीय आख्या आनी चाहिए। उससे स्पष्ट होता है कि पहले से तो कोई नामकरण नहीं है।

मा0 अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि यदि पहले से नामकरण है तो दुबारा नामकरण नहीं माना जाएगा।

संकल्प संख्या (39) :–सर्वसम्मति से मद संख्या–15 पर अंकित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (16) :– लेबर कालोनी वार्ड के अन्तर्गत मीना बेकरी चौराहे का नामकरण **"भारत रत्न पं0 मदन मोहन मालवीय"** के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार मालवीय, मा0 पार्षद/कार्यकारिणी सदस्य द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 07.02.2018 पर विचार। (परिशिष्ट–16)

संकल्प संख्या (40) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (17) :– जलकल विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व से लम्बित 131 पत्रावलियों का विवरण महाप्रबन्धक, जलकल विभाग द्वारा की गयी संस्तुति दिनांक 04.03.2018 के क्रम में मा0 महापौर जी के निर्देशानुसार मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत। (परिशिष्ट–17)

संकल्प संख्या (41) :–सर्वसम्मति से नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, जलकल को अधिकृत किया गया।

मद संख्या (18) :– उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 438(1) के प्राविधानानुसार लखनऊ नगर निगम में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बधन और शर्तो के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाईसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रसारित आदेश सं0–386/पी0/पर्या0अभि0/न0अ0 दिनांक 03.02. 2018 के क्रियान्वयन हेतु तैयार की गई नियमावली(गाइड लाइन्स)2018 पर नगर आयुक्त के निर्देश दिनांक 13.06.2018 के तहत विचार। (परिशिष्ट–18)

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

संकल्प संख्या (42) :– सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (19) :– उ0प्र0नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172(ग)के अन्तर्गत प्राविधानानुसार नगर में स्थित हेलीपैडों, हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों पर कर आरोपित करने हेतु अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार। (परिशिष्ट–19)

संकल्प संख्या (43) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

Scanned by CamScanner

मद संख्या (20) :– जिला प्रशासन द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों से नवीनीकरण के लिए ट्रायल हेतु नगर निगम की शूटिंग रेन्ज का उपयोग किये जाने हेतु निर्धारित ट्रायल शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में नगर अभियन्ता, जोन–5 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार। **(परिशिष्ट–20)**

संकल्प संख्या (44) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (21) :– उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–114(2) के तहत उ0प्र0 नगरीय निकाय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूखण्डों का क्रमांकन किये जाने हेतु अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 20.06.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार। **(परिशिष्ट–21)**

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि 60 प्रतिशत भवन ही अभी सर्वेक्षित हैं। अब समस्त मकानों को ट्रैक किया जाएगा।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि क्या शत–प्रतिशत भवनों से टैक्स लिया जा रहा है ?

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि 80 प्रतिशत बिल सर्व हो चुके हैं। समय–समय पर रिव्यू कर रहे हैं। जितने भवन सर्वेक्षित हैं, बिल शत–प्रतिशत पहुँचाए जायेंगे। 07 जुलाई तक 64 इंस्पेक्टरों को मशीन दे दी जाएगा। डोर–टू–डोर कलेक्शन होगा। छूटे मकानों का सर्वे नहीं करेंगे तो वित्तीय नुकसान हो रहा है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2010 में स्वकर निर्धारण प्रणाली के तहत भवन स्वामियों को फार्म भरना था। जिन भवन स्वामियों ने फार्म नहीं भरा था, जनरल सर्वे में सबका असिस्मेन्ट हो चुका है। किस ऐजेन्सी को लगाकर पैसा देंगे, इस कार्य हेतु। कई बार सर्वे के लिए एजेन्सियों को लगाया गया, एजेन्सियां बिना पूरा सर्वे किए ही पैसा लेकर भाग गयी। हवाई सर्वे करने की भी बात हुई थी, वह भी एजेन्सी पैसा लेकर भाग गयी। विभागीय कर्मचारियों ने सर्वे किया है, पहले उसके हिसाब से शत–प्रतिशत भवनों की वसूली की जाए।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री अशोक सिंह ने कहा कि जहाँ–जहाँ पर क्रमबद्धता नहीं है, वहाँ क्रमबद्धता लायी जाएगी।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि नगर निगम से उक्त कार्य हेतु पैसा नहीं खर्च किया जाएगा।

संकल्प संख्या (45) :–सर्वसम्मति से मद संख्या–21 पर अंकित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री राज कुमार सिंह ने कहा कि ब्याज माफ कर दिया जाए, इससे बहुत हाउस टैक्स जमा हो सकेगा। नगर निगम की आमदनी बढ़ेगी।

मद संख्या (22) :– नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों/संस्थानों जिनके द्वारा बड़े पैमाने पर व्यावसायिक कृत्य जैसे विद्यालय परिसर में शादी–विवाह एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन, विद्यालय के छत पर टेलीफोन टावरों की स्थापना

Scanned by CamScanner

एवं विद्यालय परिसर में बैंकों व कोचिंग कॉलेज आदि का संचालन किया जा रहा है, ऐसे भवनों को नगर निगम लखनऊ द्वारा चिन्हांकित करते हुए व्यावसायिक तौर पर प्रयोग किये जाने वाले भू—भाग का कर निर्धारण करते हुए कर अधिरोपित करने सम्बन्धी अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 20.06.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार। **(परिशिष्ट—22)**

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि निजी विद्यालय शब्द लिखा जाए, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में कर माफ है।

संकल्प संख्या (46) :—सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (23) :— अवध चौराहे से लेकर आलमबाग चौराहा होते हुए मवैया चौराहे तक सड़क का नामकरण **"स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा"** किये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश मिश्रा, मा0 पार्षद/मा0 कार्यकारिणी सदस्य द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 22.05.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट—23)**

मा0 अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्बन्ध में सिन्धी समाज का भी प्रस्ताव आया है। उन्होंने भी उक्त सड़क के नामकरण का प्रस्ताव भेजा है।

संकल्प संख्या (47) :—सर्वसम्मति उक्त प्रस्ताव पर दोनों पक्षों से वार्ता करके निर्णय लेने हेतु मा0 महापौर जी को अधिकृत किया गया।

मद संख्या (24) :— रामजी लाल सरदार पटेल नगर वार्ड के अन्तर्गत सिंगार नगर कालोनी के चौराहे पर स्व0 सतीश भाटिया की मूर्ति लगाकर चौराहे का नामकरण **"स्व0 सतीश भाटिया"** चौराहा किये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश मिश्रा, मा0 पार्षद/मा0 कार्यकारिणी सदस्य द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 22.05.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट—24)**

संकल्प संख्या (48) :—सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

मद संख्या (25) :— रामजी लाल सरदार पटेल नगर वार्ड के अन्तर्गत हरी नगर गुरूद्वारा से मानक नगर स्टेशन होते हुए आर0के0 मैरेज हॉल तक की रोड का नामकरण **"राम स्वरूप वर्मा"** मार्ग किये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश मिश्रा, मा0 पार्षद/मा0 कार्यकारिणी सदस्य द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 22.05.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट—25)**

संकल्प संख्या (49) :—सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (26) :— महानगर स्थित महानगर कल्याण मण्डप का नाम भूतपूर्व महापौर **"स्व0 डा0 एस0 सी0 राय"** के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व पार्षद श्री जी0डी0शुक्ला, द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 18.06.2018 के तहत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। **(परिशिष्ट—26)**

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि लखनऊ शहर में यदि कोई रोड/चौराहा या कल्याण मण्डप का किसी नाम से नामकरण है तो फिर उसी नाम से किसी दूसरी

Scanned by CamScanner

रोड/चौराहा या कल्याण मण्डप का नामकरण न किया जाए। यह अधिनियम में भी व्यवस्था है। एक नाम से दो स्थानों का नामकरण होने से लोग भ्रमित होंगे।

संकल्प संख्या (50) :—सर्वसम्मति से महानगर कल्याण मण्डप के नामकरण का प्रस्ताव मा0 सदन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (27) :— इन्दिरा नगर लखनऊ के ए—ब्लाक में मानसरोवर बैंक के सामने स्थित चौराहे का नामकरण **श्री एम0पी0सक्सेना(श्री मंगली प्रसाद सक्सेना)** के नाम से किये जाने हेतु श्री चित्रगुप्त सभा, इन्दिरा नगर लखनऊ के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, मा0 पार्षद, मैथिलीशरण गुप्त वार्ड की संस्तुति के क्रम में मा0 महापौर के निर्देश दिनांक 14.06.2018 के तहत मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। **(परिशिष्ट—27)**

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में जिसका अभूतपूर्व योगदान अथवा अच्छा व्यक्तित्व हो उसी के नाम से नामकरण होना चाहिए। क्षेत्रीय पार्षद की संस्तुति भी होनी चाहिए। पूर्व में भी यही निर्णय हुआ था।

श्री राजेश सिंह ने कहा कि एस0पी0सक्सेना जी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसलिए उक्त प्रस्ताव पारित किया जाए।

संकल्प संख्या (51) :—सर्वसम्मति से मद संख्या—27 पर अंकित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (28) :— बालागंज चौराहे और मोहान रोड को मिलाने वाला मार्ग कैम्पवेल रोड का नाम बदलकर **"निषादराज मार्ग"** किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मा0 विधायक, लखनऊ पश्चिम द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 22.06.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट—28)**

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

संकल्प संख्या (52) :—सर्वसम्मति स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (29) :— उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—2 सन् 1959) की धारा 540, 541 के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली)उपविधि 2018 अपर नगर आयुक्त की यथाअनुशंसा दिनांक 21.06.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट—29)

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि नियमावली के अनुसार कार्य क्यों नहीं हो रहा है। माह जून तक तीन माह तक प्रचार विभाग की आय शून्य है। नगर निगम का घाटा हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है ?

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री अशोक सिंह ने अवगत कराया कि जब तक नया कांट्रैक्ट न हो जाए तब तक 15 प्रतिशत बढ़ाकर जमा कराया जा रहा है । एक जुलाई से नया टेण्डर होगा। अब विज्ञापन कर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए अनुज्ञा शुल्क का प्रस्ताव पास करना जरूरी है।

Scanned by CamScanner

श्री राजेश सिंह ने कहा कि तीन महीने का पैसा कोई नहीं देगा।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि जो पहले से काम कर रहा है वह एग्री है, वह तीन माह का पैसा देगा, इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार हो चुका है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री अशोक सिंह ने कहा कि कई सुधार किये गये हैं। सदन में पास होगा, आपत्तियां आएंगी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि प्रचार विभाग की व्यवस्था को ठीक किया जाए अन्यथा नगर निगम को काफी नुकसान होगा।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि 15 जुलाई तक टेण्डर हो जायेंगे।

संकल्प संख्या (53) :—सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (30) :— लखनऊ सीमान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर संचालित विभिन्न प्रेक्षाग्रहों से नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 की उपधारा (2)(झ)के अन्तर्गत लिये जाने वाले शो टैक्स की दरों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार। **(परिशिष्ट—30)**

संकल्प संख्या (54) :—सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (31) :— नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित गेस्ट हाउस, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, ईटिंग हाउस, कोल्ड ड्रिंक, आईसक्रीम, एरिटेड्रस वाटर, आईसक्रीम फैक्ट्री, आटा चक्की, बार चलाने हेतु पाँच स्टार होटल, थ्री स्टार होटल एवं नगर निगम के बायलॉज लाईसेन्स 05 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 15 हार्स पावर, 20 हार्स पावर एवं 20 हार्स पावर से ऊपर की निर्धारित दरों के अनुसार लाईसेन्स शुल्क वसूली हेतु नगर निगम की प्रचलित दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार। **(परिशिष्ट—31)**

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

संकल्प संख्या (55) :—सर्वसम्मति से निम्न संशोधन सहित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

क्र0 सं0	उपविधि/व्यवसाय का नाम	शासन द्वारा निर्धारित दरें	प्रचलित दर वर्तमान में लागू	वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरें	संशोधित दरें
1	होटल गेस्ट हाउस (20 बेड तक)	24.00	1000.00	5000.00	10000.00
2	होटल गेस्ट हाउस (20 बेड से अधिक)	100.00	1500.00	8000.00	15000.00
3	जलपान गृह	24.00	1000.00	2000.00	—
	रेस्टोरेण्ट, ईटिंग हाउस	24.00	1000.00	2000.00	10000.00
4	कोल्डड्रिंक/आईसक्रीम, एरिएटेर्ड वाटर	18.00	500.00	—	—
5	आइसक्रीम फैक्ट्री	100.00	1000.00	—	5000.00
6	बर्फ निर्माण फैक्ट्री	100.00	2000.00	—	5000.00
7	आटा चक्की	कोई शुल्क न लिया जाए, प्रस्ताव से इस कालम को हटा दिया जाए			

Scanned by CamScanner

8	बार चलाने हेतु	6000.00	15000.00	18000.00	50000.00
9	पांच स्टार होटल	12000.00	25000.00	40000.00	100000.00
10	थ्री स्टार होटल	9000.00	20000.00	30000.00	40000.00
11	देशी शराब प्रति दुकान	6000.00	6000.00	25000.00	30000.00
12	विदेशी शराब प्रति दुकान	12000.00	12000.00	55000.00	—
13	मॉडल शॉप	—	—	60000.00	—

2— विद्युत पावर परमिशन (जो लाइसेन्स एक बार दिया जाता है) की वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरें निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (32) :— लखनऊ नगर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ एवं साफ सुथरा वातावरण बनाने के लिए नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 386(3) के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत खाली पड़े भूखण्डों पर झुग्गी/झोपड़ी डालकर निवास करने वालों द्वारा सड़क, मोहल्लों एवं नाली में गंदगी फैलाने पर जुर्माना(अर्थ दण्ड) निर्धारित करने हेतु अपर नगर आयुक्त एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार।

(परिशिष्ट—32)

संकल्प संख्या (56) :—सर्वसम्मति भूखण्ड स्वामियों पर जुर्माना लगाये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि जो टैक्स अभी तक लागू हैं, क्या उसकी वसूली शत—प्रतिशत हो रही है ? संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार टैक्स साल भर में एक बार बजट सत्र में बढ़ाया जाता है। बीच में टैक्स नहीं बढ़ाया जाता है। अथवा पुनरीक्षित बजट में बढ़ाते।

नगर आयुक्त ने कहा कि आमदनी नहीं बढ़ेगी तो विकास कार्यो के लिए पुनरीक्षित बजट में कैसे प्राविधान किया जाएगा ?

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि जो कार्य वर्ष 2017—18 में हो चुके हैं वह लाइबिलिटी में टेकअप किये जाएं।

मा0 उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्ष—2017—18 के विकास कार्यों की वार्ड विकास निधि एवं नगर निगम निधि से जिन पत्रावलियों पर कमिटमेन्ट शील लग गयी हैं और टेण्डर हो गए हैं अथवा नहीं हो पाए हैं, ऐसी सभी पत्रावलियों को पुनरीक्षित बजट में प्राविधान करते हुए पास किया जाता है।

मा0 अध्यक्ष ने सहमति व्यक्त की।

संकल्प संख्या (57) :—सर्वसम्मति उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (33) :— नगर निगम लखनऊ के रेन्ट विभाग के अधीनस्थ मोहन मार्केट, न्यू मार्केट कैसरबाग, नानपारा मार्केट एवं गुरूनानक मार्केट चारबाग जो काफी पुराने एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं को तोड़कर डबल बेसमेन्ट पार्किंग के साथ बहुमंजिला व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्माण किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु अपर नगर आयुक्त एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार। **(परिशिष्ट—33)**

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

मा0 अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रस्ताव पर कमेटी बनायी जाएगी, चर्चा होगी, तत्पश्चात् निर्णय लिया जाएगा।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि गड़बड़झाला में नगर निगम की सम्पत्ति को भी इस प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया जाए।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि नगर निगम, लखनऊ में कार्यरत् रह चुके श्री जी0एस0 गोयल, पूर्व मुख्य वास्तुविद की सेवाएं ले ली जाएं। उनको काफी जानकारी है।

संकल्प संख्या (58) :–सर्वसम्मति उपसमिति गठित करने हेतु मा0 महापौर जी को अधिकृत किया गया।

मद संख्या (34) :– नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित प्राइवेट अस्पताल, प्रसूति गृह, नर्सिंग होम, पैथालॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेण्टल क्लीनिक, प्राइवेट क्लीनिक एवं ब्लड बैंक आदि की निर्धारित दरों में वृद्धि करते हुए संशोधित दरों को लागू करने हेतु अपर नगर आयुक्त एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार। **(परिशिष्ट–34)**

<u>नगर निगम द्वारा प्रस्तावित मदवार दरें</u>

नगर निगम द्वारा प्रस्तावित मदवार	नगर निगम द्वारा निर्धारित दरें (वर्तमान में लागू)	प्रस्तावित दर
प्राइवेट अस्पताल :–		
1. नर्सिंग होम/प्रसूति गृह 50 बेड तक	5000.00	7500.00
2. नर्सिंग होम/प्रसूति गृह 50 बेड से 100 बेड तक	10000.00	15000.00
3. नर्सिंग होम/प्रसूति गृह 100 बेड से 250 बेड तक	10000.00	20000.00
4. नर्सिंग होम/प्रसूति गृह 250 बेड से 500 बेड तक	10000.00	35000.00
केवल पैथालॉजी	2000.00	5000.00
डायग्नोस्टिक सेन्टर/पैथॉलोजी/एक्सरे/अल्ट्रासाउण्ड आदि	5000.00	10000.00
ब्लड बैंक/सेण्टर	5000.00	10000.00
प्राइवेट क्लीनिक (केवल परामर्श हेतु) :–		
एलोपैथिक क्लीनिक/डेन्टल क्लीनिक	5000.00	10000.00
आयुर्वैदिक/यूनानी/होम्योपैथिक आदि	2500.00	4000.00

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

संकल्प संख्या (59) :–सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अनुपूरक कार्यसूची</u>

मद संख्या (35) :–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 114(31)के दृष्टिगत नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित अवैध ऑटो/टैम्पो/ई–रिक्शा स्टैण्डों के संचालन पर नगर निगम प्रशासन द्वारा नियंत्रित किये जाने एवं उससे होने वाली वित्तीय आय अर्जित किये जाने हेतु अपर नगर आयुक्त(ए)द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार। **(परिशिष्ट–35)**

संकल्प संख्या (60) :–सर्वसम्मति से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु नगर आयुक्त जी को अधिकृत किया गया।

Scanned by CamScanner

मद संख्या (36) :– उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ के सामने स्थित वायरलेस चौराहा का नाम पद्मश्री स्व0 छत्रपति जोशी, उप महानिरीक्षक(पुलिस दूर संचार) के नाम पर **"छत्रपति जोशी चौराहा"** रखे जाने के सम्बन्ध में श्री सुजीत पाण्डेय, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक(पुलिस दूर संचार) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 03.05.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट–36)**

संकल्प संख्या (61) :–सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (37) :– नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा कर विभाग के कार्यो को समुचित व सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृष्ण यादव, मा0 पार्षद/ उप नेता भा0ज0पा0 पार्षद दल द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार। **(परिशिष्ट–37)**

संकल्प संख्या (62) :–सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (38) :– लक्ष्मण टीला चौराहे पर लक्ष्मण जी की विशाल मूर्ति लगवाने व उनके इतिहास का उल्लेख करते हुए शिलालेख स्थापित किये जाने तथा अमीनाबाद स्थित झण्डेवाले पार्क में एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृष्ण यादव, मा0 पार्षद, एवं श्री रजनीश कुमार गुप्ता, मा0 पार्षद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मा0 महापौर की संस्तुति पर विचार। **(परिशिष्ट–38)**

संकल्प संख्या (63) :–सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

(संयुक्ता भाटिया) महापौर नगर निगम, लखनऊ

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पूरक एजेण्डा आज बैठक में क्यों रखा गया है ? डा0 दिनेश शर्मा, पूर्व महापौर ने बैठक में कड़ा निर्देश दिया था कि पूरक एजेण्डा बैठक के दौरान नहीं रखा जाएगा। भविष्य में एजेण्डा में जो विषय होंगे, उन्हीं पर विचार किया जाएगा।

अन्य प्रस्ताव सं0 (1) :– मा0 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के तहत लखनऊ नगर निगम के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम के दयानिधान पार्क, झण्डीपार्क एवं अमीनाबाद पार्क की भूमिगत पार्किंग हेतु स्मार्ट पार्किंग सॉल्युशन विकासकर्ता चयन के सम्बद्ध में निम्नवत् प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ नगर आयुक्त जी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

विषयः लखनऊ नगर निगम के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम के दयानिधान पार्क, झण्डीपार्क एवं अमीनाबाद पार्क की भूमिगत पार्किंग हेतु स्मार्ट पार्किंग सॉल्युशन विकासकर्ता चयन हेतु प्रस्ताव।

<u>प्रस्ताव</u>

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक व अन्य वाह्य वित्तीय संस्थाओं के दिशा निर्देशानुरूप परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी परामर्शी व विकासकर्ता चयन हेतु मानक माडल आरएफपी व आरएफक्यू डाक्युमेन्ट तैयार कराये गये हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम के दयानिधान

Scanned by CamScanner

पार्क, झण्डीपार्क एवं अमीनाबाद पार्क की भूमिगत पार्किंग हेतु स्मार्ट पार्किंग सॉल्युशन हेतु उक्त के अनुरूप आरएफपी परामशी फर्म द्वारा तैयार कर प्रस्तुत आरएफपी में उपरोक्त योजना कार्यान्वयन के साथ 5 वर्ष की अवधि हेतु संचालन व अनुरक्षण के कार्यों के मुख्य विवरण निम्नवत् हैं :–

1. Andriod based Handheld Parking Management System.
2. Boom Barrier.
3. CCTV Camera
4. Storage for CCTV(NVR)
5. CCTV Camera Switches.
6. Ultasonic Sensors with indicator.
7. Zone Controller.
8. Floor Controller.
9. Master Processing Unit.
10. Parking Kiosk with Server & Monitor.
11. Public Announcement System.
12. Signage Board.
13. Display Board.
14. Auto Pay Station.
15. Video Wall for Control Room(medium size)

तकनीकी परीक्षोपरान्त विधिक परीक्षण के पश्चात् संशोधित आर0एफ0पी0 के आधार पर ई–निविदा द्वारा आर.एफ.पी. का तकनीकी परीक्षण, खोले जाने एवं मूल्यांकन के अनुसार विकासकर्ता चयन सम्बन्धी संस्तुति के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराये जाने हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–20/जीएम/पी/एलएससीएल/17–18, दिनांक 03.07.2017 द्वारा समिति का गठन किया गया।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

निदेशक मण्डल की तृतीय बैठक दिनांक 29.07.2017 के एजेण्डा क्रमांक 4 (6) में पारित संकल्प के अनुपालन हेतु पीएसमसी फर्म द्वारा तैयार किये गये आरएफपी के परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा अनुमोदित आरएफपी के क्रम में दिनांक 29.11.2017 को ई–निविदायें व हार्डकापी निविदायें प्राप्त की गयी। पीएमसी फर्म द्वारा प्रस्तुत तकनीकी मूल्यांकन दिनांक 07.12.2017के क्रम मे दोनों फर्मों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार मेसर्स मुकेश इंटरप्राइजेज, लखनऊ द्वारा प्राप्त 96/100 अंक एवं M/s Building Control Solutions India Pvt Ltd, Banglore द्वारा प्राप्त 100/100 अंक न्यूनतम अर्हता के 70 अंकों के सापेक्ष अधिक होने के आधार पर दोनों फर्मे तकनीकी रूप से अर्ह पाये जाने पर समिति की संस्तुति के अनुसार दोनों फर्मों की वित्तीय ई–निविदायें दिनांक 12.12.2017 को खोली गयी हैं।

दोनों फर्मों की वित्तीय ई–निविदाओं के पीएमसी फर्म द्वारा प्रस्तुत वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:–

S.N	Criteria	Financial Bid Submission	
		M/s Building Control Solutions India Pvt Ltd, Banglore	**M/s Mukesh Enterprises, Lucknow**
1.	We have agreed to pay LSCL a monthly Concession Fee as -- percentage of revenue eamed (=Gross Revenue minus service taxes as applicable) which will be provided to LSCL. We will pay to LSCL every month the Concession Fee as quoted	42%	81.80%

Scanned by CamScanner

	above throughout the concession period from the date of signing of agreement and handing over of the parking sites whichever is later), subject to minimum concession fee as INR 40,00,000/-(Rupees Forty Lakhs only) per annum.		

उपरोक्त के आधार पर निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 29.07.2017 के निर्णयानुसार समिति की संस्तुति के क्रम में नगर आयुक्त/मुख्यकार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 15.12.2017 के क्रम में फर्म को बैंक गांरटी प्रस्तुत कर अनुबंध कराये जाने हेतु सूचना पत्र–66/जीएम/पी/एलएससीएल/17–18, दिनांक 16.12.2017 निर्गत किया गया है।

आपके संज्ञान में लाना है कि नगर निगम द्वारा संचालित अमीनाबाद के झण्डेवाला पार्क, नगर निगम के सामने स्थित झण्डीवाला पार्क व दयानिधान पार्क की भूमिगत पार्किंग का संचालन पूर्व सैनिकों द्वारा वर्ष 2014 से सितम्बर, 2017 तक किया गये हैं इसके पूर्व तथा इसके पश्चात वर्तमान में इनका संचालन स्वयं नगर निगम द्वारा अपना स्टफ लगाकर किया जा रहा है इन कार्मियों के वेतन पर किये गये व्यय तथा अन्य संचालन व्यय के सापेक्ष वर्षवार तीनों पार्किंग स्थलों के आय के विवरण (रु. लाख में) निम्नवत् है :–

क्र0सं0	पार्किंग स्थल	2013	2014	2015	2016	2017	दिसम्बर 2017
व्यय विवरण							
	वेतन मद	40.08	62.54	74.06	82.41	88.40	63.33
	अन्य संचालन व्यय	1.74	2.12	2.39	2.50	2.53	1.85
	योग	41.82	64.66	76.45	84.91	90.93	65.18
अन्य विवरण							
	झण्डेवाला पार्क	84.04	85.26	86.05	83.60	83.20	58.35
	झण्डीवालाल पार्क	2.06	15.71	19.77	25.30	26.92	19.21
	दयानिधान पार्क	0.98	4.82	13.81	16.14	16.53	14.97
	योग	87.09	105.79	119.64	125.04	126.65	92.53
शुद्ध आय (आय–व्यय अन्तर)		45.26	41.13	43.18	40.14	35.71	27.35
अन्तर प्रतिशत		51.97%	38.88%	36.09%	32.10%	28.20%	29.56%

वर्ष 2014 से तीनों पार्किंग स्थलों के पूर्णकालिक संचालन प्रारम्भ हो जाने के पश्चात आय रु0 1.0 करोड़ से रु0 1.26 करोड प्रत्येक वर्ष बढ़ती रही है एवं संचालन व्यय भी इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष बढ़ते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष क्रमिक रूप से शुद्ध आय (आय–व्यय) में कमी होती रही है। प्रतिशत अन्तर से स्पष्ट है कि नगर निगम को शुद्ध आय के रूप में मात्र 38.88 प्रतिशत से निरन्तर ह्रास होते हुए इस वर्ष (अप्रैल से दिसम्बर 2017) 29.56 प्रतिशत शुद्ध आय प्राप्त हुई है। इसी के अनुसार कन्शेसन फीस के रूप में कुल प्राप्त राजस्व के अधिकतम प्रतिशत एवं न्यूनतम रु0 40.00 लाख की कन्सेशन फीस प्रदान करने वाली फर्म को चयनित किये जाने की अर्हता के अनुसार M/s Building Control Solutions India Pvt Ltd, Banglore द्वारा प्रदत्त 42 प्रतिशत की कन्सेशन फीस की स्वीकृति विचारणीय है, जिसके अनुसार वर्ष 2016–17 की अब तक प्राप्त सर्वाधिक आय रु0 126.65 लाख के 42 प्रतिशत

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

कन्सेशन फीस के रूप में रु0 53.19 लाख की न्यूनतक आय नगर निगम को प्राप्त होती।

उपरोक्तानुसार स्मार्ट सॉल्युशन प्रभावी किये जाने के पश्चात् इन तीनों पार्किंग स्थलों की कुल आय में वृद्धि अवश्यंभावी है एवं तद्नुरूप नगर निगम को शुद्ध आय के रूप में 42 प्रतिशत की कन्सेशन फीस के आधार पर अधिक धनराशि प्राप्त होगी। स्पष्ट है कि इन पार्किंग स्थलों से शुद्ध आय के रूप में 2013 से अब तक अवधि में प्राप्त धनाशि से काफी अधिक धनाशि नगर निगम को प्राप्त होने के आधार पर स्मार्ट पार्किंग सॉल्युशन कन्सेशनेयर के माध्यम से कराया जाना नगर निगम को लाभकारी होगी।

तद्नुसार मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 02.02.2018 के क्रम में प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ह0/—
परियोजना प्रबन्धक

ह0/—
अपर नगर आयुक्त

ह0/—
नगर आयुक्त

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि नगर निगम द्वारा पार्किंग चलायी जाए।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने भी कहा कि नगर निगम कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए, नगर निगम द्वारा ही पार्किंग चलायी जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि यह प्रस्ताव सदन में रखा गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया था। नियमानुसार छः माह तक प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। आज की बैठक में इस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

अन्य प्रस्ताव सं0 (2) :— मा0 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के तहत् पेपर मिल वार्ड के अन्तर्गत निर्मित कैफी आजमी प्रेक्षागृह के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः—

<u>प्रस्ताव</u>

पेपर मिल वार्ड के अन्तर्गत आने वाले कैफी आजमी आडिटोरियम का संचालन कैफी आजमी संस्था द्वारा किया जा रहा है। आये—दिन इस आडिटोरियम में कार्यक्रम हो रहे हैं। उक्त आडिटोरियम नगर निगम की भूमि पर बना है। इसको बनवाने में नगर निगम की धनराशि का इस्तेमाल हुआ है। उक्त आडिटोरियम हेतु निगम के द्वारा एक संस्था का गठन किया जाये। इसमें मेयर एवं स्थानीय पार्षद भी सदस्य के रूप में शामिल हों। उक्त प्रेक्षागृह का इस्तेमाल निगम के कार्यक्रम व स्थानीय लोगों के लिये हो, जिससे प्रेक्षागृह का सभी लोग लाभ उठा सकें। एवं आपसे यह भी निवेदन है कि उक्त आडिटोरियम निगम के अधीन हो, और इससे निगम को राजस्व भी प्राप्त हो सके।

ह0/—
(राजेश सिंह ''गब्बर'')
पार्षद
पेपर मिल कालोनी वार्ड।

संकल्प संख्या (64) :—सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर लिया जाए।

Scanned by CamScanner

अन्य प्रस्ताव सं0 (3) :— मा0 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के तहत श्री अजय दीक्षित, मा0 सदस्य कार्यकारिणी समिति द्वारा हसनगंज बावली, सआदतगंज स्थित प्राचीन दुर्गा माता मंदिर द्वार निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

संकल्प संख्या (65) :—सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य प्रस्ताव सं0 (4) :— मा0 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के तहत् मनकामेश्वर वार्ड के अन्तर्गत् गोमती तट स्थित झूलेलाल पार्क का आवण्टन शुल्क रु0 15000/— के स्थान पर पूर्व की भाँति रु0 5000/— प्रतिदिन किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

<u>प्रस्ताव</u>

मेरे पार्षदीय क्षेत्र मनकामेश्वर वार्ड के अन्तर्गत् झूलेलाल पार्क गोमती तट पर धार्मिक कार्यक्रम सदियों से होते चले आ रहे हैं। स्थल का आवण्टन नगर निगम लखनऊ के द्वारा नियमतः होता है, जिसका शुल्क रु0 5000/— प्रतिदिन के हिसाब से आयोजक नगर निगम में जमा करता था। जानकारी के अनुसार उपरोक्त स्थल के आवण्टन हेतु (धार्मिक/सामाजिक) कार्यों के लिए प्रतिदिन रु0 5000/— से बढ़ाकर रु0 15000/— प्रतिदिन पिछली मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में कर दिया था, जो कि बहुत अधिक है।

अतः मा0 कार्यकारिणी समिति से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थल का किराया पूर्व की भाँति रु0 5000/— प्रतिदिन के हिसाब से कराने का कष्ट करें। सभी धर्म के लोग नगर निगम कार्यकारिणी समिति के सदैव आभारी रहेंगे।

ह0/—
रेखा रोशनी
पार्षद
मनकामेश्वर वार्ड।

संकल्प संख्या (66) :—सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी कि मा0 महापौर जी की स्वीकृति पर धार्मिक/सामाजिक आयोजन हेतु न्यूनतम रु0 5000/—प्रतिदिन तक किया जा सकेगा।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि मा0 कार्यकारिणी समिति की आज की बैठक बड़े सुन्दर ढंग से संचालित हुई, अच्छे निर्णय हुए। नगर आयुक्त जी को बहुत—बहुत बधाई।

नगर आयुक्त ने सभी का आभार व्यक्त किया।

तत्पश्चात् मा0 अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज की बैठक समाप्त की जाती है।

(संयुक्ता भाटिया)
अध्यक्ष/महापौर
मा0 कार्यकारिणी समिति।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner